

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक : 5242(A)

दिनांक : 12/12/2024

::कार्यालय आदेश::

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के निर्देशानुसार पूर्व में इस कार्यालय द्वारा अलवर न्यायक्षेत्र के अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के थानेवार क्षेत्राधिकारिता के संबंध में जारी आदेशों के संबंध में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु बाबत् जारी निर्देशों को यथावत रखते हुए जिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नतीजा अभी न्यायालयों में पेश होने है, उनके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों से पूर्व जिस न्यायालय में संबंधित थाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, उसी न्यायालय में संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट का अंतिम नतीजा/आरोप-पत्र पेश किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश नहीं की गई है तो इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश से जिस न्यायालय को अधिकारिता दी गई है, उसमें अंतिम नतीजा/आरोप-पत्र पेश होंगे।

भवदीय

(मनोज कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज.)

अ ल व र

(अति० कार्यभार)

क्रमांक:- 5242(A)

दिनांक:- 12/12/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है-

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल-तिजारा/बहरोड-कोटपूतली/भिवाडी
4. संबंधित पुलिस थाना.....
5. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन.....
6. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-मेल करें)

11
(मनोज कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज.)

(अति० कार्यभार)